


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/डीपीसी/2018

दिनांक:-07.06.19


कार्यालय आदेश

माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अन्य पदों पर रिज्यु डीपीसी एवं मूल डीपीसी के सम्बन्ध में निदेशालय एवं अधीनस्थ संयुक्त निदेशक कार्यालयों द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2019 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति उपरान्त जारी समस्त पदोन्नति पदस्थापन आदेशों में जिन कार्मिकों ने पदोन्नत स्थानों पर कार्यग्रहण नहीं किया है, उन पदोन्नत कार्मिकों को निर्देशानुसार कार्यग्रहण का अन्तिम अवसर देते हुये दिनांक 11.06.19 तक कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त तिथि पश्चात कार्मिक की पदोन्नति का परित्याग स्वतः मान लिया जायेगा।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
4. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों से उक्त सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र लेकर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित करें।
7. अनुभाग अधिकारी संस्थापन एबी/सी/सामान्य प्रशासन अनुभाग कार्यालय हाजा
8. सम्बन्धित कार्मिक.....
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर